2025/517

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

सोहनी .... बनाम .... तहसीलदार धोद

किस्म मुकदमा .... 136 LR .... मु.नं. 238 .... वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा – पत्र	
28/7/25		

प्रार्थीया सोहनी पुत्री जालूराम जाति मेघवंशी निवासी ग्राम सिहोट बड़ी तहसील धोद जिला सीकर हाल निवासी ग्राम सुठोठ तहसील नेछवा जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को दुरूस्त करने के अनुसार वाके ग्राम सिहोट बड़ी तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 315, 119 व 126 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्ठि चूंकीदेवी पुत्री जालूराम दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थीया के नाम की सही प्रविष्ठि सोहनी पुत्री जालूराम है। अर्थात् प्रार्थीया वर्तमान का सही नाम सोहनी है। प्रार्थीया के नाम से बने दस्तावेजात की प्रस्तुत प्रतियों में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्ठि सोहनी अंकित है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्ठि चूंकीदेवी पुत्री जालूराम के स्थान पर चूंकीदेवी उर्फ सोहनी पुत्री जालूराम दुरूस्त किया जावें।

प्रकरण में प्रार्थीया के अनुतोष के संबंध में प्रार्थीया का निवास स्थान ग्राम सुठोठ तहसील नेछवा जिला सीकर से संबंधित होने से तहसीलदार, नेछवा के पत्रांकः राजस्व/2025/238 दिनांक 08.07.2025 के द्वारा दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। प्रार्थीया ने अपने आवेदन के समर्थन में एक शपथ–पत्र पेश किया। उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थीया के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना–पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें।

अतः प्रार्थीया का आवेदन तहसीलदार, धोद की उक्त रिपोर्ट व प्रार्थीया के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम सिहोट बड़ी तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 315, 119 व 126 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्ठि चूंकीदेवी पुत्री जालूराम के स्थान पर चूंकीदेवी उर्फ सोहनी पुत्री जालूराम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, नेछवा के पत्रांकः राजस्व/2025/238 दिनांक 08.07.2025 के द्वारा प्राप्त दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावें।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला सीकर

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी, धोद, जिला–सीकर (राज.))

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.07.29 15:38:13 IST
Reason: SelfAttested